भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2627

मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

लवणीय भूमि का हस्तांतरण

2627. श्री माथेश्वरन वी. एस.:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाला लवण विभाग, सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 13.10.2025 के एसएलपी (सी) 4632/2021 के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहा है, जिसमें न्यायालय ने विशेष रूप से लवणीय भूमि को सफल बोलीदाता/हस्तक्षेपकर्ता को सौंपने का निर्देश दिया था;

(ख) क्या जयपुर के लवण आयुक्त और चेन्नई के उप लवण आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 13.10.2025 के एसएलपी (सी) 4632/2021 के आदेश का अनुपालन करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन पर की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि कानून के अनुसार निविदा की वैध प्रक्रिया आयोजित किए जाने के बावजूद ओडिशा के साल्ट सर्कल में विगत बीस वर्षों से नमक का बिल्कुल भी उत्पादन नहीं हुआ है, जिसके कारण सरकार को नुकसान हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): नमक आयुक्त संगठन को 24.10.2025 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एसएलपी (सी) 4632/2021 में दिनांक 13.10.2025 के आदेश का संदर्भ दिया गया है और विभाग से ओडिशा के

हुम्मा नमक सर्कल की 946.736 एकड़ नमक भूमि को पट्टे के आधार पर हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को इस मामले में कानून के अनुसार निर्णय करने की स्वतंत्रता दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विभाग को अनुपालन के लिए कोई विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किया है।

(ग) और (घ): उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ओडिशा के हुम्मा नमक सर्कल में पिछले बीस वर्ष में लगभग 2,94,765 मीट्रिक टन नमक का उत्पादन हुआ है।

*****